पुस्तकालय

2
3282
21/3/13

सत्यमेव जयते

04 MAR 2013

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्र०सं० 722 तिथि 21.3.13

बि०स०मु०(एल०ए०वादवृत्त),183–मो०एल०–1,500

श्रीमती रेणु देवी : अध्यक्ष जी,

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए यह पूरे बिहार में केवल एक ही है कि पारदर्शिता के साथ पदाधिकारीगण इसका चुनाव करायें और सभी माननीय सदस्यों को इसकी सूचना रहेगी कि कब हो रही है ।

श्रीमती रेणु देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ कि मैं सचिव को, डी०एम० साहेब को, माननीय प्रभारी मंत्री को, सब को सूचना दी कि बैठे-बैठे अचानक चुनाव हो गया और वह एक मिलीभगत होगी, डुप्लिकेट लोग हैं, यह सब विचार जो महिला मंडल से हो या कृषक से हों, यह व्यापक है...

अध्यक्ष : सरकार देख रही है ।

तारांकित प्रश्न सं०-२४२१, मा० सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र

श्री चन्द्र मोहन राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड-१- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

उक्त गांव के कुछेक पेय जल श्रोतों की जांच में लोह की मात्रा अनुमान्य सीमा से अधिक पायी गयी है । इन सभी जगहों के सार्वजनिक पेय जल श्रोतों की जांच कराने की योजना है । जल जांच के उपरान्त समस्या की गंभीरता के आलोक में योजना तैयार कर क्रियान्वित की जायेगी ।

खंड-२- उपरोक्त खंड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, भागलपुर जिला के खरीक प्रखंड के तुलसीपुर ध्रुवगंज, गोढ़ खरीक, अठनिया, राघोपुर,, बहत्तरा, नवादा, खैरपुर, काजी कोरैया...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो आपको साकारात्मक जबाब दिया है ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, बिल्कुल अतिपिछड़ा का गांव है, वहां पर जांच भी किया गया है इनके अधिकारियों के द्वारा वहां ३ पी०पी०एम० से ५ पी०पी०एम० ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या चाहते हैं ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, हम चाहते हैं कि मिनी जलापूर्त्ति के माध्यम से वहां जल्द-से-जल्द एक समय-सीमा निर्धारित कर माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे ।

श्री चन्द्र मोहन प्रसाद, मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा कि इसकी व्यापक जांच कराकर इसके आलोक में कार्रवाई की जायेगी और निश्चित रूप से जिन-जिन गांव का दिया है, अगले वित्तीय वर्ष में इस समस्या का निदान कर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में ।

तारांकित प्रश्न सं०-२४२२, मा० सदस्य श्री अरूण मांझी

श्री रमई राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, समाहर्त्ता, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार स्थिति निम्नवत है :-

क- पटना गया रोड स्थित खास महल प्लॉट नं०-२८ रकवा ४ कट्ठा २ धूर ६ धूरकी जमीन आवासीय प्रयोजन हेतु दिनांक १२.०९.१९६७ के प्रभाव से अगले ३० वर्षों के लिए श्रीमती लीलावती श्रीवास्तव को बन्दोबस्त किया गया था ।

वर्ष १९९६ में भौतिक सत्यापन के क्रम में पाया गया कि लीजधारी द्वारा बिना पूर्वानुमति के व्यवसायिक कार्य किया जा रहा है । लीज शर्त्त का उल्लंघन

मानते हुए पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक ३२५/रा० दिनांक १४.०८.१९९६ के द्वारा लीज रद्द करने की अनुशंसा राजस्व विभाग को भेज दी गयी ।

राजस्व विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में बन्दोबस्त भूखंड को पूनर्ग्रहण करने के क्रम में लीजधारी द्वार माननीय न्यायालय में याचिका दायर किया गया । दिनांक २८.०१.२०११ को माननीय न्यायालय द्वारा इस टिप्पणी के साथ, वाद को वापस लेने की स्वीकृति देते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रतिवादी (सरकार) की ओर से इस आशय का शपथ पत्र दिया गया कि आवेदक को विवादित स्थल से बलपूर्वक बेदखल नहीं किया जायेगा बल्कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कार्रवाई की जायेगी ।

वर्त्तमान में बिहार खासमहल नीति-२०११ के आलोक में भी लीजशर्त्त के उल्लंघन के आरोप में लीजधारी को फ्रेश लीज लेने हेतु ऑफर दिया जा रहा है ।

(ख) पटना गया रोड स्थित खासमहल प्लॉट नं०-२८ रकवा ४ कट्ठा २ धूर ६ धूरकी जमीन दिनांक १८.८.१९६७ के प्रभाव से अगले ३० वर्षों के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु श्रीमती अम्बे देवी जौजे रामचन्द्र वर्मा को बन्दोवस्त किया गया था ।

प्रश्नगत भूखंड के संबंध में लीज शर्त्त के उल्लंघन के आरोप में लीज रद्द करने की कार्रवाई करते हुए फ्रेश लीज लेने संबंधी ऑफर दिया जा रहा है ।

श्री अरूण मांझी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इतना विस्तार से जबाब दिया कि कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, पता ही नहीं चला, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूँ कि १९६७ से एक रूपया प्रतिवर्ष की लागत से उसका लीज दिया गया जमीन का, जो ९६ में समाप्त हो जाता है । लेकिन आजतक सगुना हॉल के नाम से प्रतिदिन बीस हजार रूपया वसूला जा रहा है तो वह पैसा कहां जा रहा है, माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे ?

श्री रमई राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका लीज चैनल खत्म करने का सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फैसला लिया लेकिन इसके विरोध में माननीय उच्च न्यायालय में इन्होंने केस दायर किया ओर इसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि बल पूर्वक उनको नहीं हटाया जाय, नियमसंगत कार्रवाई करके कार्रवाई कीजए । उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं और हम उनको ऑफर दिये हैं और फिर उन्होंने कहा कि सभी पैसा देते हुए पुनः लीज कराने का प्रावधान किया गया है ।

तारांकित प्रश्न सं०-२४२२ का क्रमशः

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उक्त परिसर में ५-६ दूकानें एवं सगुना हॉल शादी विवाह एवं मीटिंग के लिए आवंटित की जाती है, किराया की वसूली की जाती है। लीजधारक और हॉल के मालिक एवं दूकान के मालिक क्या एक ही हैं, क्या व्यवसाय का कार्य करने के विरूद्ध सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, मैं यह जानना चाहता हूँ।

श्री रमई राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम तो अपने जवाब में इस बात को स्वीकार किये हैं और उनका लीज जो था उसको १९९६ में रद्द कर चुके हैं, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में केस दायर किये और उनके आदेशानुसार वह उनके पर अभी भी है इसलिए उनसे पुनर्लीज जो हमारी नीति २०११ में बनी है उसके अनुरूप हम उनको लीज लेने के लिए अनुरोध किये हैं।

श्री श्रवण कुमार : एक सवाल और है महोदय, क्या माननीय मंत्री जी ने लीज रद्द किया- लीज करने के उपरांत क्या इन्होंने लीजधारक से जमीन मकान लेने के लिए क्या इन्होंने सिविल कोर्ट में जिला प्रशासन के द्वारा कोई आवेदन दिया गया है यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री रमई राम,मंत्री : सिविल कोर्ट में नहीं दिया गया है, यह इसमें जानकारी नहीं दी गयी है, केवल उनका अनुशंसा आया था जिससे राजस्व विभाग ने उनको रद्द किया। राजस्व विभाग के आदेश के विरोध में वह माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किये।

श्री श्रवण कुमार : क्या सिविल कोर्ट में अधियाचना दायर करके इस जमीन को और दूकान को और हॉल को सरकार खाली कराने का विचार रखती है ?

श्री रमई राम,मंत्री : अभी जब इनको पता है कि जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि बिना इनसे न्यायपूर्ण सुनवाई किये हुए इनको खाली नहीं कराना है तो हम कैसे सिविल कोर्ट में केस करके खाली करायेंगे, हमने अपना जवाब दिया।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब तारांकित प्रश्न समाप्त हुआ, प्रश्नकाल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उसे सभा पटल पर रख दिये जाएं। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक १४ मार्च २०१३ के लिए एक कार्य-स्थगन की सूचना प्राप्त हुई है जिसे बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-१७२(३) के अन्तर्गत अमान्य किया जाता है।

श्री सोमप्रकाश सिंह : हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे महोदय कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी जो सबसे गरीब बल है, आज चार दिनों से अनशन पर बैठा है शांतिपूर्ण ढंग से और हम आपसे आग्रह करते हैं सदन के माध्यम से कि सरकार उनकी जो सबसे बदतर स्थिति है उसपर विचार करे महोदय, चूंकि जब यही लोग अपनी मांग के समर्थन में उग्र हो जाते हैं तब हमारा पूरा सदन उनपर ध्यान देता है, लेकिन आज वह बिलकुल शांतिपूर्वक है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा है जो उनकी दशा और दुर्दशा को देख सके।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठिए। अब शून्यकाल लिये जायेगे।